न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

चैनसिंह

बनाम

खींवसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चौदह

आदेश

दिनांक 01 मई 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 106/2024 अनवान चैनसिंह बनाम खींवसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 जून 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 जून 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बानो का बास तहसील चामू के खसरा संख्या 903 कुल रकबा 9.5829 हैक्टयर, खसरा संख्या 906 रकबा 4.8158 हैक्टयर, खसरा संख्या 947 रकबा 11.4850 हैक्टयर की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 01 से 13 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 13 अपने-अपने हक व हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/16 वॉ हिस्सा आता है। वादी/अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। वादी/अपीलांट द्वारा वाद के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया, परतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकॉर्ड का परीक्षण किए ही उक्त प्रार्थना पत्र में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई।

कानूनन सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच की भूमि पर हिस्सा माना जाता है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों की ओर ध्यान दिए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो द्वारा उक्त खसरो की भूमि में बेचान हस्तान्तरण कर मौके में परिवर्तन कर दिया जाता है वो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने के आदेश पारित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जून 2024 को निरस्त किया जावे एवं विचारण न्यायालय में वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की सहखातेदारी की भूमि है। उभय पक्ष अपने-अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की सामलाती भूमि है। अपीलांट की ओर से उक्त सामलाती भूमियों के विभाजन बाबत विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो, इसलिए न्याय

	हित में वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 जून 2024 को निरस्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	